



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2025/5989

दिनांक : 27.03.2025

सेवा में,

- 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय-प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat Wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी/कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 732/सत्तर-3-2025, दिनांक 25 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रमुख सचिव, राजस्व, उ०प्र० शासन के संलग्न पत्र संख्या : 180/एक-11-2025, दिनांक 18.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हीटवेव से बचाव हेतु सम्बन्धित विभागों हेतु पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में हीटवेव से बचाव हेतु विभागवार जारी एडवाइजरी में शिक्षा विभाग हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं-

- समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयावधि में परिवर्तन।
- गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाए।

अतः कृपया उपर्युक्त दिये गये निर्देशानुसार लू-प्रकोप (Heat Wave) से बचाव हेतु कार्य योजना तैयार कर उसके अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अतिशीघ्र ई-मेल आईडी0 : draffiliationmjpru@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आख्या समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

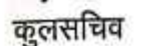
संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर/क्रीड़ा सचिव/समस्त निदेशक/समस्त वार्डन।
4. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
5. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
6. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना।
7. मीडिया प्रभारी।
8. उप कुलसचिव (प्रशासन/सम्बद्धता)
9. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
10. सहायक कुलसचिव।
11. निजी सचिव-कुलपति।
12. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव।


कुलसचिव

27/03/25
1

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या- 732/सत्तर-3-2025

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव, ~~निजी~~
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2025

विषय: प्रदेश में लू-प्रकोप (HEAT WAVE) से बचाव एवं राहत के लिये तैयारी/कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-180/एक-11-2025, दिनांक 18.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हीटवेव से बचाव हेतु संबंधित विभागों हेतु पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में हीटवेव से बचाव हेतु विभागवार जारी एडवाइजरी में शिक्षा विभाग निम्नवत निर्देश दिये गये हैं-

- समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयावधि में परिवर्तन।
- गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाये।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक 28.03.2025 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Signed by
Sunny Prakash Mishra
Date: 25/03/2025 12:12:11

D.R. (Adm.)
27/03/25
कुलसचिव

Sh. Busejit
27.3.25

संख्या-180/एक-11-2025

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 738 / NIPPSHED/2025

दिनांक 18.3.25

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, कृषि, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, श्रम, वन, पर्यटन,
परिवहन, आई० टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, ऊर्जा,
उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक/निदेशक/आयुक्त,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं जन सम्पर्क, ग्राम्य विकास, स्थानीय निकाय,
पशुपालन, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं मौसम विज्ञान विभाग,
अग्निशमन एवं आपात सेवाएं।
3. मंडल रेल प्रबन्धक, (उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी एवं उत्तर मध्य रेलवे)।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2025

विषय: प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी /
कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हीट-वेव से बचाव के लिए पूर्व में निर्गत एडवाइजरी का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व में निर्गत एडवाइजरी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025 के लिए कार्ययोजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

2. देश में प्रतिवर्ष हीट-वेव (लू-प्रकोप) से होने वाली क्षतियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हीट-वेव से बचाव हेतु पूर्व में निर्गत एडवाइजरी में राज्य को विभिन्न स्तरों (राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर) पर नोडल अधिकारी नामित करने, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद एवं ब्लाक स्तर पर हीट-वेव को मॉनीटर किए जाने, हीट वेव के समय क्या करें व क्या न करें की प्रचार सामग्री के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने, मोबाइल मेसेज वाट्सएप के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किए जाने, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनवाड़ी केन्द्र पर ओ०आर०एस० पैकेट की समुचित व्यवस्था किए जाने, तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालय के समय में परिवर्तन किए जाने, पेयजल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों/ कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए

(छाया छाया)
निजी सचिव,
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० प्र०

103
19/3/25

20.03.2025

जाने के निर्देश दिए गए हैं।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 1-43/2022-पी. पी., दिनांक 25-04-2024 के माध्यम से राज्य एवं जनपद स्तर पर हीटवेव नोडल आफिसर नामित किये जाने के दिये गये निर्देश के क्रम में राजस्व अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय आदेश संख्या-414/एक-11-2024, दिनांक 26-04-2024 द्वारा राज्य स्तर पर राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश को राज्य हीटवेव नोडल अधिकारी तथा जिले स्तर पर जनपद के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जनपद हीटवेव नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

4. जनपद स्तर पर हीट-वेव से बचाव हेतु नामित नोडल अधिकारी द्वारा हीट-वेव की स्थिति में क्या करें व क्या न करे के संबंध में जागरूकता फैलाने, सनस्ट्रोक से मृत्यु से बचाव हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने, हीट-वेव के संबंध में नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने, मंदिरों/लोक भवन/मॉल को Cooling Centre के रूप में चिन्हित किए जाने, लोक स्थानों पर एन०जी०ओ०/सामुदायिक समूहों वैयक्तिक रूप से पानी एवं छाँछ की व्यवस्था किए जाने, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

5. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हीटवेव से बचाव हेतु संबंधित विभागों हेतु पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में हीटवेव से बचाव हेतु विभागवार एडवाइजरी निम्नवत है:-

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग:-

- क्षेत्रीय भाषा में आई०ई०सी सामग्री पोस्टर एवं पैम्फलेट तैयार किया जाना।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी०वी०/एफ०एम० रेडियो) प्रिन्ट मीडिया (समाचार पत्र) सोशल मीडिया (फेसबुक / ट्विटर वाट्सएप के माध्यम से हीट वेव की स्थिति में क्या करें व क्या न करें के संबंध में जागरूकता फैलाना।

स्वास्थ्य विभाग -

- दिशा-निर्देश/प्रशिक्षण दिया जाना एवं ग्राम स्तर के पदाधिकारियों हेतु चेतावनी निर्गत किया जाना।
- क्षेत्रीय अस्पतालों में गर्मी से संबंधित परीक्षण किया जाना।
- प्रभावित जनता के देखभाल हेतु अतिरिक्त स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना तथा अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ०आर०एस० के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था।
- मृत्यु के कारकों की जांच करने में मानक प्रोटोकाल का पालन किया जाना।

- हीट-वेव से मृत्यु की दशा में मृतकों के पंजीकरण की समान प्रक्रिया का पालन।

नगर निगम

- शहर/कस्बों/स्लम बस्ती, जिनका हीट वेव से ज्यादा प्रभावित होना संभाव्य है, को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल की व्यवस्था किया जाना।
- खुले पार्को में छाया की समुचित व्यवस्था किया जाना।
- सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव।
- शहरी क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना।
- Environment and Building Code का पालन करते हुये ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।

श्रम विभाग

- औद्योगिक एवं अन्य श्रमिकों के लिए गर्मी संबंधित बीमारियों हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन।
- बाह्य कार्यो हेतु कार्य घण्टों में परिवर्तित किए जाने हेतु नियोक्ता को निर्देशित किया जाना।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना
- पीने के पानी की समुचित व्यवस्था तथा निर्माण कामगारों के सम्बन्ध में अन्य अनिवार्य मानकों का पालन।

पशुपालन विभाग

- पशुओं की सुरक्षा हेतु हीट-वेव एक्शन प्लान तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन।
- पशुपालक कृषकों को हीट वेव की स्थिति में पशुओं की सुरक्षा हेतु जागरूक करने हेतु ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय स्टॉफ एवं गौपालकों को निर्देशित किया जाना।
- पशुओं हेतु आश्रय स्थलों / समुचित वेटनरी मेडिसिन एवं पीने हेतु पेय जल की समुचित व्यवस्था किया जाना।

आई०टी० विभाग

- राज्य एवं जनपदों में हीट-वेव की स्थिति की मॉनीटरिंग हेतु डैसबोर्ड / इण्टरफेज की व्यवस्था।
- उक्त डैसबोर्ड/पोर्टल से बल्क एस०एम०एस० भेजे जाने की सुविधा।

- हीट-वेव से सम्बन्धित चेतावनी एवं आश्रय स्थलों/पेय जल की सूचना के प्रसारण हेतु मोबाइल ऐप विकसित किया जाना।

शिक्षा विभाग

- समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयावधि में परिवर्तन।
- गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाये।

पंचायतीराज / ग्राम्य विकास विकास

- मनरेगा कामगारों की कार्य अवधि में परिवर्तन।
- कार्यस्थल पर छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

ऊर्जा विभाग

- विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।
- गर्मी (Peak Hour) को देखते हुये विद्युत कटौती के समय में परिवर्तन।

परिवहन विभाग

- बड़े बस स्टैंडों/टर्मिनलों पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था।
- बस स्टैंडों/ टर्मिनलों पर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था।

डिवीजनल रेलवे मैनेजर

- मैकेनिकल / इलेक्ट्रिक सिस्टम (पखा/ए०सी०) का प्राथमिकता के आधार पर समुचित रखरखाव किया जाना।
- ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था।

वन विभाग

- लोक स्थानों पर हरियाली सुनिश्चित करना।
- वन अग्नि से बचाव हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण।
- जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था।

पर्यटन विभाग

- प्रदेश में हीट-वेव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों हेतु एडवाइजरी निर्गत किया जाना।
- राज्य भ्रमण पर आये हुये पर्यटकों का समुचित पंजीकरण।
- मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर आए दर्शनार्थियों हेतु अस्थायी आश्रय स्थल एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

6. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में हीट वेव से बचाव हेतु निर्गत उक्त एडवाइजरी के क्रम में विभागीय कार्ययोजना तैयार किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना की प्रति राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

(पी० गुरुप्रसाद)
Guru Prasad Porala

Date: 18-03-2021 11:46:28

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
6. निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ०प्र०।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

Signed by Om Prakash

Yadav

(ओम प्रकाश यादव)

Date: 18-03-2021 09:44:57

संयुक्त सचिव